भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1999

दिनांक 02 अगस्त, 2024 को उत्तर के लिए

मासिक धर्म अवकाश

1999. श्री गिरिधारी यादवः

श्री सुधाकर सिंहः

डॉ. डी. रवि कुमारः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) क्या सरकार पूरे देश में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश के कार्यान्वयन पर पुनर्विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित दिशानिर्देशों और कार्यान्वयन की संभावित समय-सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार नियोक्ताओं और कर्मचारियों को मासिक धर्म के संबंधी स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा मासिक धर्म अवकाश के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए कोई जागरूकता कार्यक्रम अथवा पहल करने की योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने मई, 2023 में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर ध्यान दिया है, जिसमें सरकार से राज्यों और अन्य पक्षों के परामर्श से महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश के संबंध में एक मॉडल नीति तैयार करने का आग्रह किया गया था, ताकि उनकी उत्पादकता प्रभावित न हो; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) और (ख): वर्तमान में, सभी कार्यस्थलों पर अनिवार्य रूप से सवेतन मासिक धर्म अवकाश का प्रावधान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ): सरकार 10-19 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए योजना कार्यान्वित करती है। इस योजना को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा समर्थित किया जाता है। इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) द्वारा किशोरियों को रियायती दरों पर सैनिटरी नैपकिन का एक पैकेट प्रदान किया जाता है। सरकार मासिक धर्म स्वच्छता के लिए क्षेत्र स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के उन्मुखीकरण और आईईसी गतिविधियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बजट भी प्रदान करती है।

इसके अलावा, स्वच्छ भारत अभियान के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छता संबंधी पहलू पर व्यवहार परिवर्तन से संबंधित अपने समग्र हस्तक्षेप के भाग के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (एमएचएम) पर जागरूकता सृजन करने के लिए मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (एमएचएम) पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश विकसित किए हैं। इसके अलावा, किफायती कीमत पर सैनिटरी नैपकिन और अच्छी गुणवत्ता वाली दवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्यूटिकल्स विभाग प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) को कार्यान्वित करता है, जो महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना के तहत, देश भर में 10000 से अधिक जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो किफायती

दवाओं के अलावा, केवल प्रति पैड केवल 1/- रुपये में सुविधा नामक ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराते हैं।

(ड.) और (च): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को रिट याचिका (डब्ल्यू.पी.) संख्या 327/2024 के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिनांक 08.07.2024 का आदेश प्राप्त हुआ है।

*****